न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड ग्वालियर कैम्प, सागर (म०प्र०)

निग - 681 - II-16

हरि नारायण वल्द मुन्नालाल गुप्ता
निवासी १३।०५ सदर बाजार, सागर
तहसील व जिला सागर (म०प्र०) — — आवेदक।
रिवीजन कर्ता

बनाम

हरि ओम वल्द जुगल किशोर केशरवानी,
निवासी ८।४८ सदर बाजार, सागर
तहसील व जिला सागर (म०प्र०) — — अनावेदक

रिवीजन अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सागर द्वारा पक्षकार हरिओम केशरवानी -वि०- हरि नारायण गुप्ता मे पारित आदेश दिनांक २०।१०।१५ जिसके द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा ४४ एवं जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९६९ के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्मित नियम मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम १९९९ के अध्याधीन रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक ४४१-बी।१२१ वर्ष २०१२-१३ मे पारित आदेश दिनांक ५।२।२०१३ को निरस्त किया था जिससे व्यथित होकर अपील धारा ४४(२) (1) भू-राजस्व संहिता के तहत माननीय कमिश्नर महोदय, सागर संभाग सागर के समक्ष पेश की थी किन्तु माननीय अतिरिक्त कमिश्नर सागर द्वारा इसको सुनवाई ना करते हुये दिनांक 23.01.16 को ग्राह्यता के बिन्दु पर यह कहते हुये निरस्त किया है कि न्यायालय को एस०डी०ओ० के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने की अधिकारिता नहीं है। (किन्तु कानून के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील कमिश्नर को होती है, इसलिए न्यायालय कमिश्नर सागर के समक्ष अपील पेश की थी) एवं अपील को निरस्त किया है, इससे व्यथित

-2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –निगरानी–681–दो/2016 जिला–सागर

हरिनारायण विरूद्ध हरिओम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
09–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री अमित चौकसे अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सागर, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक अपील–35/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 09/5/19 सदस्य	